न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 20/2019

अनवान :–

1. बालादेवी पत्नी कालुराम जाति कुम्हार निवासी ढुकड़ा तहसील सिरसा
2. धापादेवी पत्नी अमरसिंह जाति कुम्हार निवासी ढुकड़ा तहहसील सिरसा।

प्रार्थीगण/सायलान

बनाम्

1. रणवीरसिंह पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी ढाणीलालखां हाल चक 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. विनोद कुमार पुत्र रणवीरसिंह जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर
3. कृष्ण कुमार पुत्र रणवीरसिंह जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर
4. सुभाषचन्द्र पुत्र रणवीरसिंह जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर
5. विधा पत्नी बगडावत जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर।
6. मांगेराम पुत्र बगडावत जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर
7. वेदप्रकाश पुत्र बगडावत जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर
8. गुडडी देवी पुत्री गोपीराम पत्नी दलीप जाति जाट डबली तहसील टिब्बी
9. रामकृष्ण पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर
10. धनपत पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
12. शाखा प्रबन्धक मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा नोहर तहसील नोहर।
13. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे बैक शाखा भुकरका तहसील नोहर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री कुलदीप खूडिया, अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 23/09/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 118/111 की कुल 2.265हैक खातेदार काश्तकार दर्ज है।

चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 117/110 की कुल 4.4781हैक भूमि गैरसायल न0 1 ता 10 के नाम सयुक्त खाते में बतौर खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है ।

सायलान अपने गांव से चल कर गैरसायलान की भूमि चक 6 आरपीएम के प0न0 295/395 (47) किला न0 25 में से अपने खेत मे पूर्व से पश्चिम प्रवेश करता है तथा उत्तर में दक्षिण आम रास्ता चलता है आम रास्ता से किला न0 25 से किला न0 24 में से अपने खेत में प्रवेश करते है यही रास्ता सबसे नजीदीकी व सुविधाजनक है तथा सायलान हमेशा से इसी रास्ता से अपने खेत में आते जाते है।

सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है एवं प्रश्नगत रास्ता भी राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिससे गैरसायल कभी भी रास्ता को बन्द कर सकते है जिससे सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होगा।

सायल उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है एवं रास्ते के बदले में भूमि या डीएलसी दर से राशि देने के लिये भी तैयार है प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार करवाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

..1

Scanned with CamScanner

सायल ने गैरसायल को कई मर्तबा कहा की उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकार करवा ले तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अत सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 6 आरपीएम के प0न0 295/395(47) के किला न0 25 मे उतरी दिशा में एक गठठा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायलान को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है रास्ते की भूमि के बदले में चक 6 आरपीम के प0न0 295/395(47) किला न0 23/1 में सायलान के नाम दर्ज एक बिश्वा भूमि अप्रार्थीगण को दी जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावे जबाब शामिल मिसल किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील सायल के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायलान को अपनी खातेदारी भूमि मे सदामत से जिस रास्ते से अवागमन करते ळे वह रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है गैरसायाल के नाम से खातेदारी दर्ज है सायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायलान के चाहे गये रास्ते को स्वीकृत करने के लिये अप्रार्थीगण ने भी स्वीकार कर लिया है तथा अप्रार्थीगण रास्ते की भूमि में से जो भूमि चाहते है वह भूमि सायलान देने के लिये तेयार है सायलान को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार फरमावे।

गैरसायल न0 1 ता 10 के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायलान को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व रास्ते की भूमि के बदले में अप्रार्थीगण के द्वारा चाही गई भूमि सायलान देने को तेयार है रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की पक्षकारों की आपसी सहमति से रास्ता स्वीकार किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया सायलान एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है एवं सायलान अपनी खाातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायलान के कथनों गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायलान को भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है रास्त की भूमि के बदले में भूमि दी जाने हेतु सायलान सहमत है अर्थात सायल एवं गैरसायल रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायल एवं गैरसायल की आपरी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल न0 1 ता 10 की रोही मोजा चक 6 आरपीएम के प0न0 295/395(47) के किला न0 25 में उतरी दिशा में 1 बिश्वा यानी 0.0130हैक रास्ता स्वीकृत रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता की भूमि के बदले में सायलान अपनी खातेदारी भूमि के प0न0 295/395(47) किला न0 23/1 की 1 बिश्वा भूमि गैरसायलान को उनकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/9/22को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

..2

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व/2020/2517/20 दिनांक 23/09/2020

तहसीलदार,
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना-पत्र सं0 20 सन 2019 निर्णय दिनांक

अनवान :-

1. बालादेवी पत्नी कालुराम जाति कुम्हार निवासी ढुकडा तहसील सिरसा
2. धापादेवी पत्नी अमरसिह जाति कुम्हार निवासी ढुकडा तहहसील सिरसा।

प्रार्थीगण/सायलान

बनाम्

1. रणवीरसिह पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी ढाणीलालखां हाल चक 7-9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. विनोद कुमार पुत्र रणवीरसिह जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर
3. कृष्ण कुमार पुत्र रणवीरसिह जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर
4. सुभाषचन्द्र पुत्र रणवीरसिह जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर
5. विधा पत्नी बगडावत जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर।
6. मांगेराम पुत्र बगडावत जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर
7. वेदप्रकाश पुत्र बगडावत जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर
8. गुडडी देवी पुत्री गोपीराम पत्नी दलीप जाति जाट डबली तहसील टिब्बी
9. रामकृष्ण पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर
10. धनपत पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
12. शाखा प्रबन्धक मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा नोहर तहसील नोहर।
13. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे बैक शाखा भुकरका तहसील नोहर।

-अप्रार्थीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मोजा चक 6 आरपीएम के प0न0 295/395(47) के किला न0 25 में उतरी दिशा में 1 बिश्वा यानी 0.0130हैक रास्ता स्वीक ृत रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता की भूमि के बदले में सायलान अपनी खातेदारी भूमि के प0न0 295/395(47) किला न0 23/1 की 1 बिश्वा भूमि गैरसायलान को उनकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

..3

Scanned with CamScanner